तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
03.03.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। दावा वादी डिग्री किया जाता है विरुद्ध निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया एवं सेर इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता से काम होकर दफ्तर दाखिल हो।	
	(बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.29 17:52:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

पीठासीन अधिकारी – बृजेश कुमार (आर.ए.एस)

वाद संख्या – 66/2018(जीसीएमएस न. 2018/00303)

1. जयराम पुत्र बख्तावर उम्र 40 साल जाति यादव नि. ढाणी स्वामी वाली तन सिरोही तह. नीमकाथाना जिला सीकर राज.

–वादी

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

–प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88

उपस्थित :– श्री प्रमोद कुमार वादी वकील

निर्णय

दिनांक :– 03-03-2021

वाद पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार हैं कि भूमि खसरा न. 135, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 153 व 154 कुल किता 10 कुल रकबा 9.85 है0 तन ग्राम सिरोही तह. नीमकाथाना में स्थित हैं जिसमें वादी का हिस्सा 5/24 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। मतदाता पहचान पत्र, मूल निवास, शैक्षणिक दस्तावेजात एवं एलआईसी बीमा प्रति में वादी का नाम जयराम पुत्र बख्तावर दर्ज हैं एवं उसे इसी नाम से जाना जाता हैं। उक्त भूमि के ख. नं. की जमाबन्दी में वादी का नाम जयराम पुत्र बख्तावर की बजाय राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से रंगलाल पुत्र बख्तावर दर्ज हो गया। जिससे वादी को काफी परेशानी हो रही हैं। वादी द्वारा इस संबंध में प्रतिवादी से कई बार निवेदन किया गया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई तथा प्रतिवादी ने दिनांक 02.05.2018 को उक्त नाम की दुरूस्ती से इंकार कर दिया गया। अतः वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पडा जो न्यायालय के श्रवणाधिकार क्षेत्र में हैं।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2056–2059, जमावन्दी सम्वत 2071–2074, मतदाता पहचान पत्र, मूल निवास, शैक्षणिक दस्तावेजात एवं एलआईसी बीमा प्रति प्रस्तुत किये हैं।

बहस एक पक्षीय सुनी गयी। पत्रावली पर मौजूद राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम रंगलाल पुत्र बख्तावर अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.29 17:52:54 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत मूल निवास, शैक्षणिक दस्तावेज एवं एलआईसी बीमा प्रति में वादी का नाम जयराम पुत्र भगतावर अंकित हैं। जिसे दुरूस्त कर डिक्री किया जाना न्यायोचित हैं।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

<u>आदेश</u>

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता हैं तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम सिरोही तह0 नीमकाथाना के भूमि खसरा नम्बर 135, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 153 व 154 कुल किता 10 कुल रकबा 9.85 है0 **<u>के राजस्व रिकार्ड में रंगलाल पुत्र बख्तावर के स्थान पर जयराम पुत्र भगतावर</u>** दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.29 17:52:54 IST
Reason: SelfAttested